

निम्नलिखित कर्मचारियों को अन्तर-रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण पर सोनपुर मंडल के कर्मचारियों को विरमित करने हेतु निदेशित किया जाता है-

01. मंरेप्र(का०)/सोनपुर के पत्र सं०-का/283/05/इंजी०/अम-अरे/निजी अनुरोध/सोन/2020 दिनांक-10.08.2020 एवं मंरेप्र(का०)/कटिहार पू०सी० रेलवे का पत्र सं०-E/283/EE/Ways/KIR/NOC/IDT दिनांक-08.09.2021 के द्वारा श्री मुकेश कुमार मंडल, ट्रैकमेन्टेनर-IV वेतनमान 5200-20200+1800 जीपी लेवल-01 अधीन वसेई/पथ/खगड़िया, पूर्व मध्य रेल, सोनपुर मंडल का अंतर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण तलीय वरीयता पर दोनों मंडल की सहमति प्राप्त है।
अतः श्री मुकेश कुमार मंडल, ट्रैकमेन्टेनर-IV अधीन वसेई/पथ/खगड़िया को तत्काल प्रभाव से इस मंडल में सत्यापित पहचान के साथ विरमित कर भेजें, जिससे कटिहार मंडल विरमित किया जा सके।

02. मंरेप्र(का०)/सोनपुर के पत्र सं०-का/283/05/इंजी०/अम-अरे/निजी अनुरोध/सोन/2020 दिनांक-01.02.2021 एवं मंरेप्र(का०)/कटिहार पू०सी० रेलवे का पत्र सं०-E/283/EE/Ways/KIR/NOC/IDT दिनांक-08.09.2021 के द्वारा श्री आशीष कुमार साह, ट्रैकमेन्टेनर-IV वेतनमान 5200-20200+1800 जीपी लेवल-01 अधीन वसेई/पथ/कुर्सैला, पूर्व मध्य रेल, सोनपुर मंडल का अंतर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण तलीय वरीयता पर दोनों मंडल की सहमति प्राप्त है।
अतः श्री आशीष कुमार साह, ट्रैकमेन्टेनर-IV अधीन वसेई/पथ/कुर्सैला को तत्काल प्रभाव से इस मंडल में सत्यापित पहचान के साथ विरमित कर भेजें, जिससे कटिहार मंडल विरमित किया जा सके।

उपरोक्त पर वमई(समन्वय)/सोन० महोदय का आदेश प्राप्त है।

निजी अनुरोध स्थानान्तरण पर निम्न शर्तों के अंतर्गत अनुमेय होगा।


01. उपरोक्त सोनपुर मंडल के कर्मचारियों को सत्यापित पहचान के साथ विरमित कर भेजें जिससे संबंधित मंडल को विरमित किया जा सके।
02. विरमन के समय कर्मचारी डीएआर/एस० पी० ई०/बिज० मामलों से मुक्त होना चाहिये।
03. नियमानुसार कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/स्थानान्तरण अवकाश देय नहीं होगा।
04. नियमानुसार कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानान्तरण नहीं लेंगे।
05. वरीयता स्थानान्तरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

(अतुल कुमार)
सकाधि-

कृते मंरेप्र (का०)/सोनपुर
दिनांक-12.01.2022

सं०-ECR-SEEOPERS(TRAN)/57/2021 Computer No-151623
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. वमई(समन्वय) एवं वमविप्र/सोनपुर।
02. मंरेप्र(कार्मिक)/पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/कटिहार।
03. वमई/थानाबिहपुर, वमई/पूर्व/बरौनी -उपरोक्त सोनपुर मंडल के कर्मचारी को सत्यापित पहचान के साथ इस कार्यालय में विरमित करें, ताकि संबंधित मंडल में विरमित किया जा सके। विरमित करने से पूर्व कर्मचारी डीएआर/एसपीई/विज० की सजा से मुक्त होना चाहिए।
04. वसेई/पथ/कुर्सैला, वसेई/पथ/खगड़िया।
05. कर्मचारी प्रति। 06. अमिलेख प्रति।
07. मंडल मंत्री-ईसीआरकेयु अजा-अजजा, ओबीसी ऐशो/सोनपुर।


कृते मंरेप्र (का०)/सोनपुर